

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2019 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरहागांव, विकासखण्ड व जिला मुंगेली का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति जरहागांव, विकासखण्ड व जिला-मुंगेली को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति जरहागांव, विकासखण्ड व जिला मुंगेली को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | सविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |



निरंतर.....

//2//

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरहागांव, विकासखण्ड व जिला मुंगेली में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति जरहागांव, विकासखण्ड व जिला मुंगेली को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|---------|---------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 14 |
| 3 | प्रधान पाठक पू.मा.शाला | 1 |
| 4 | शिक्षक | 12 |
| 5 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 6 | सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला | 2 |
| 7 | ग्रंथपाल | 1 |
| 8 | लेखापाल/सहायक ग्रेड-2 | 1 |
| 9 | सहायक ग्रेड-3 | 2 |
| 10 | भृत्य | 4 |
| 11 | चौकीदार | 1 |
| 12 | अंशकालीन सफाईकर्मि | 2 |
| योग | | 42 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मि हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।



निरंतर.....

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-दो / 2020

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2023 :: राज्य शासन एतद् द्वारा पं. गिरिजा शंकर मिश्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुरा, जिला रायपुर का संचालन पं. गिरिजा शंकर मिश्र उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति रायपुरा, जिला-रायपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा पं. गिरिजा शंकर मिश्र उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति रायपुरा, जिला रायपुर को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|------------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |

निरंतर.....



2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा पं. गिरिजा शंकर मिश्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुरा, जिला रायपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को पं. गिरिजा शंकर मिश्र उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति रायपुरा, जिला रायपुर को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|---------|---------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 17 |
| 3 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 4 | सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला | 3 |
| 5 | ग्रंथपाल | 1 |
| 6 | लेखापाल/सहायक ग्रेड-2 | 1 |
| 7 | सहायक ग्रेड-3 | 2 |
| 8 | भृत्य | 4 |
| 9 | चौकीदार | 1 |
| 10 | अंशकालीन सफाईकर्मी | 1 |
| योग | | 32 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

निरंतर.....




7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-दो / 2022
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 22 / 09 / 2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2023 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शशिबाला नगर निगम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुड़ियारी, जिला रायपुर का संचालन शशिबाला उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति गुड़ियारी, जिला-रायपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा शशिबाला उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति गुड़ियारी, जिला-रायपुर को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |

निरंतर.....



2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शशिबाला नगर निगम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुढ़ियारी, जिला रायपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को शशिबाला उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति गुढ़ियारी, जिला-रायपुर को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|---------|-----------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 7 |
| 3 | प्रधान पाठक पू.मा.शाला | 1 |
| 4 | शिक्षक | 9 |
| 5 | प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) | 1 |
| 6 | सहायक शिक्षक | 5 |
| 7 | भृत्य | 1 |
| 8 | चौकीदार | 1 |
| 9 | अंशकालीन सफाईकर्मी | 2 |
| योग | | 28 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

निरंतर.....




7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2024

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22 / 09 / 2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2025 :: राज्य शासन एतद् द्वारा कांशीराम शर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भनपुरी, जिला रायपुर का संचालन कांशीराम शर्मा उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति भनपुरी, जिला-रायपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा कांशीराम शर्मा उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति भनपुरी, जिला-रायपुर को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | सविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |

निरंतर.....



2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा कांशीराम शर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भनपुरी, जिला रायपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को कांशीराम शर्मा उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति भनपुरी, जिला-रायपुर को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|---------|---------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 12 |
| 3 | प्रधान पाठक पू.मा.शाला | 1 |
| 4 | शिक्षक | 10 |
| 5 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 6 | सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला | 3 |
| 7 | ग्रंथपाल | 1 |
| 8 | लेखापाल/सहायक ग्रेड-2 | 1 |
| 9 | सहायक ग्रेड-3 | 2 |
| 10 | भृत्य | 5 |
| 11 | चौकीदार | 1 |
| 12 | अंशकालीन सफाईकर्मी | 2 |
| योग | | 40 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

निरंतर.....




7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2026
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2022 :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3, दिनांक 23.03.2022 के सरल क्रमांक 3 पर अंकित "माधव राव सप्रे नगर निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर, जिला रायपुर" के 20 पदों को अंतरित करते हुए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय के रूप में संचालन हेतु माधव राव सप्रे उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बुढ़ातालाब, रायपुर को सौंपा गया है। उक्त संस्था का पंजीयन क्रमांक 122202246649 है जो दिनांक 20.06.2022 को पंजीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त विद्यालय में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भी संचालन करने हेतु माधव राव सप्रे उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बुढ़ातालाब, रायपुर को तालिका में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |

निरंतर.....



2/ उक्त तालिका के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।


7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2028
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2029 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय त्रिमूर्तिनगर, जिला रायपुर का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति त्रिमूर्तिनगर, जिला-रायपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति त्रिमूर्तिनगर, जिला-रायपुर को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |



निरंतर.....

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय त्रिमूर्तिनगर, जिला रायपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति त्रिमूर्तिनगर, जिला-रायपुर को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|---------|---------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 12 |
| 3 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 4 | सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला | 2 |
| 5 | ग्रंथपाल | 1 |
| 6 | लेखापाल/सहायक ग्रेड-2 | 1 |
| 7 | सहायक ग्रेड-3 | 2 |
| 8 | भृत्य | 3 |
| 9 | चौकीदार | 1 |
| 10 | अंशकालीन सफाईकर्मी | 1 |
| योग | | 25 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।



निरंतर.....

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा (आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2030

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2021 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमदी, जिला धमतरी का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति आमदी, जिला धमतरी को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति आमदी, जिला धमतरी को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |

निरंतर.....



2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हे प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमदी, जिला धमतरी में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति आमदी, जिला धमतरी को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|---------|---------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 12 |
| 3 | सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला | 3 |
| 4 | ग्रंथपाल | 1 |
| 5 | लेखापाल/सहायक ग्रेड-2 | 1 |
| 6 | सहायक ग्रेड-3 | 2 |
| 7 | भृत्य | 4 |
| 8 | चौकीदार | 1 |
| 9 | अंशकालीन सफाईकर्मी | 1 |
| | योग | 26 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

निरंतर.....



7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2032
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2023 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयरामनगर, जिला बिलासपुर का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति जयरामनगर, जिला बिलासपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति जयरामनगर, जिला बिलासपुर को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |

निरंतर.....



2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयरामनगर, जिला बिलासपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति जयरामनगर, जिला बिलासपुर को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 16 |
| 3 | प्रधान पाठक पू.मा.शाला | 1 |
| 4 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 5 | सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला | 3 |
| 6 | लेखापाल/सहायक ग्रेड-2 | 1 |
| 7 | सहायक ग्रेड-3 | 1 |
| 8 | भृत्य | 4 |
| 9 | अंशकालीन सफाईकर्मी | 2 |
| योग | | 30 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।



निरंतर.....

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-दो / 2034
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 22 / 09 / 2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर, छ0ग0।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2025 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलतरा, जिला बिलासपुर का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बेलतरा, जिला बिलासपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बेलतरा, जिला बिलासपुर को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |



निरंतर.....

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हे प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलतरा, जिला बिलासपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन बेलतरा, जिला बिलासपुर को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 9 |
| 3 | प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) | 1 |
| 4 | शिक्षक | 4 |
| 5 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 6 | प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) | 1 |
| 7 | सहा. शिक्षक | 3 |
| 8 | सहा. ग्रेड-3 | 2 |
| 9 | भृत्य | 2 |
| 10 | अंशकालीन सफाई कर्मी | 2 |
| योग | | 26 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।



निरंतर.....


7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2036
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर, छ0ग0।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2027: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय हाईस्कूल तिफरा, जिला बिलासपुर का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति तिफरा, जिला बिलासपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति तिफरा, जिला बिलासपुर को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |

निरंतर.....



2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय हाईस्कूल तिफरा, जिला बिलासपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति तिफरा, जिला बिलासपुर को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|---------|---------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 12 |
| 3 | प्रधान पाठक पू.मा.शाला | 1 |
| 4 | शिक्षक | 16 |
| 5 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 6 | प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) | 1 |
| 7 | सहायक शिक्षक | 16 |
| 8 | सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला | 2 |
| 9 | लेखापाल/सहायक ग्रेड-2 | 1 |
| 10 | सहायक ग्रेड-3 | 2 |
| 11 | भृत्य | 3 |
| 12 | अंशकालीन सफाईकर्म | 2 |
| योग | | 58 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्म हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।



निरंतर.....

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2038
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर, छ0ग0।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक २२/०९/२०२३

क्रमांक एफ २३-०८/२०२०/२०-दो/२०२३ :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अण्डा, जिला दुर्ग का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति अण्डा, जिला दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति अण्डा, जिला दुर्ग को तालिका क्रमांक-१ में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-१

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |



निरंतर.....

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हे प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अण्डा, जिला दुर्ग में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति अण्डा, जिला दुर्ग को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|---------|---------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 18 |
| 3 | शिक्षक | 2 |
| 4 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 5 | सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला | 3 |
| 6 | ग्रंथपाल | 1 |
| 7 | लेखापाल/सहायक ग्रेड-2 | 1 |
| 8 | सहायक ग्रेड-3 | 2 |
| 9 | भृत्य | 4 |
| 10 | चौकीदार | 2 |
| 11 | अंशकालीन सफाईकर्मी | 2 |
| योग | | 37 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।



निरंतर.....

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2040
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक २२/०९/२०२३

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक २२/०९/२०२३

क्रमांक एफ २३-०८/२०२०/२०-दो/२०२३:: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जे.पी. नगर केम्प २, जिला दुर्ग का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति जे.पी. नगर केम्प २, जिला दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति जे.पी. नगर केम्प २, जिला दुर्ग को तालिका क्रमांक-१ में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-१

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|------------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |



निरंतर.....

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हे प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जे.पी. नगर केम्प 2, जिला दुर्ग में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति जे.पी. नगर केम्प 2, जिला दुर्ग को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 13 |
| 3 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 4 | सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला | 3 |
| 5 | ग्रंथपाल | 1 |
| 6 | लेखापाल/सहायक ग्रेड 02 | 1 |
| 7 | सहायक ग्रेड 03 | 2 |
| 8 | भृत्य | 4 |
| 9 | चौकीदार | 1 |
| 10 | अंशकालीन सफाईकर्मी | 1 |
| योग | | 28 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।



निरंतर....

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2042
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक २२/०९/२०२३

क्रमांक एफ २३-०८/२०२०/२०-दो/२०४३ :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिरगा, जिला दुर्ग का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति तिरगा, जिला दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति तिरगा, जिला दुर्ग को तालिका क्रमांक-१ में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-१

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |



निरंतर.....

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिरगा, जिला दुर्ग में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति तिरगा, जिला दुर्ग को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| सरल क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 11 |
| 3 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 4 | सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) | 3 |
| 5 | ग्रंथपाल | 1 |
| 6 | लेखापाल/सहायक ग्रेड 02 | 1 |
| 7 | सहा. ग्रेड-3 | 2 |
| 8 | भृत्य | 4 |
| 9 | चौकीदार | 1 |
| 10 | अंशकालीन सफाई कर्मी | 1 |
| योग | | 26 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।



निरंतर....


7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2644

नवा रायपुर, दिनांक २२/०९/२०२३

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग


छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2045 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कातरो, जिला दुर्ग का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति कातरो, जिला दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति कातरो, जिला दुर्ग को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | सविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|------------|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |



निरंतर.....

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कातरो, जिला दुर्ग में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति कातरो, जिला दुर्ग को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| सरल क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 10 |
| 3 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 4 | सहा. ग्रेड-3 | 1 |
| योग | | 13 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मि हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।



निरंतर.....

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2646

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2047 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पडवारा, जिला दुर्ग का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति पडवारा, जिला दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति पडवारा, जिला दुर्ग को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |



निरंतर.....

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पउवारा, जिला दुर्ग में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति पउवारा, जिला दुर्ग को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| सरल क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 13 |
| 3 | शिक्षक | 1 |
| 4 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 5 | सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) | 3 |
| 6 | ग्रंथपाल | 1 |
| 7 | लेखापाल/सहायक ग्रेड 02 | 1 |
| 8 | सहा. ग्रेड-3 | 2 |
| 9 | भृत्य | 4 |
| 10 | चौकीदार | 1 |
| 11 | अंशकालीन सफाई कर्मी | 3 |
| योग | | 31 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।



निरंतर.....


7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2048
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22 / 09 / 2023

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-दो / 2049 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुगदा, जिला दुर्ग का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति कुगदा, जिला दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति कुगदा, जिला दुर्ग को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |

निरंतर.....



2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुगदा, जिला दुर्ग में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति कुगदा, जिला दुर्ग को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| सरल क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 12 |
| 3 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 4 | सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) | 3 |
| 5 | ग्रंथपाल | 1 |
| 6 | लेखापाल/सहायक ग्रेड 02 | 1 |
| 7 | सहा. ग्रेड-3 | 2 |
| 8 | भृत्य | 4 |
| 9 | चौकीदार | 1 |
| 10 | अंशकालीन सफाई कर्मी | 1 |
| योग | | 27 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

निरंतर.....



7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2050
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2051 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरेना, जिला दुर्ग का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति पुरेना, जिला दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति पुरेना, जिला दुर्ग को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|------------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |

निरंतर.....

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरेना, जिला दुर्ग में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति पुरेना, जिला दुर्ग को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| सरल क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 12 |
| 3 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 4 | सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) | 3 |
| 5 | ग्रंथपाल | 1 |
| 6 | लेखापाल/सहायक ग्रेड 02 | 1 |
| 7 | सहा. ग्रेड-3 | 2 |
| 8 | भृत्य | 4 |
| 9 | चौकीदार | 1 |
| 10 | अंशकालीन सफाई कर्मी | 1 |
| योग | | 27 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

निरंतर.....

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2052
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग


छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2053 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हा.सेक्टर 09, जिला दुर्ग का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति हा.सेक्टर 09, जिला दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति हा.सेक्टर 09, जिला दुर्ग को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |



निरंतर.....

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हा.सेक्टर 09, जिला दुर्ग में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति हा.सेक्टर 09, जिला दुर्ग को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| सरल क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 11 |
| 3 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 4 | सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) | 3 |
| 5 | ग्रंथपाल | 1 |
| 6 | लेखापाल/सहायक ग्रेड 02 | 1 |
| 7 | सहा. ग्रेड-3 | 2 |
| 8 | भृत्य | 4 |
| 9 | चौकीदार | 1 |
| 10 | अंशकालीन सफाई कर्मी | 1 |
| योग | | 26 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।



निरंतर....


7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2054

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2055 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरसी, जिला दुर्ग का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बोरसी, जिला दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बोरसी, जिला दुर्ग को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |

निरंतर.....



2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरसी, जिला दुर्ग में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बोरसी, जिला दुर्ग को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| सरल क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 11 |
| 3 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 4 | सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) | 3 |
| 5 | लेखापाल/सहायक ग्रेड 02 | 1 |
| 6 | सहा. ग्रेड-3 | 2 |
| 7 | भृत्य | 4 |
| 8 | चौकीदार | 1 |
| 9 | अंशकालीन सफाई कर्मी | 1 |
| योग | | 25 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

निरंतर.....

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2056
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2057 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंजोरा (ख), जिला दुर्ग का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति अंजोरा (ख), जिला दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति अंजोरा (ख), जिला दुर्ग को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |



निरंतर.....

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंजोरा (ख), जिला दुर्ग में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति अंजोरा (ख), जिला दुर्ग को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| सरल क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 12 |
| 3 | शिक्षक | 1 |
| 4 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 5 | सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) | 3 |
| 6 | ग्रंथपाल | 1 |
| 7 | लेखापाल/सहायक ग्रेड 02 | 1 |
| 8 | सहा. ग्रेड-3 | 1 |
| 9 | भृत्य | 1 |
| 10 | चौकीदार | 1 |
| 11 | अंशकालीन सफाई कर्मी | 1 |
| योग | | 24 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

निरंतर.....

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2058
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2059 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरपाली (जिल्हा), जिला कोरबा का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बरपाली (जिल्हा), जिला कोरबा को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बरपाली (जिल्हा), जिला कोरबा को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |



निरंतर.....

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरपाली (जिला), जिला कोरबा में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बरपाली (जिला), जिला कोरबा को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| सरल क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 10 |
| 3 | प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) | 1 |
| 4 | शिक्षक | 7 |
| 5 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 6 | सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) | 3 |
| 7 | ग्रंथपाल | 1 |
| 8 | लेखापाल/सहायक ग्रेड 02 | 1 |
| 9 | सहा. ग्रेड-3 | 2 |
| 10 | भृत्य | 4 |
| 11 | चौकीदार | 1 |
| 12 | अंशकालीन सफाई कर्मी | 2 |
| योग | | 34 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।



निरंतर.....


7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2060
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2061 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करहीबाजार, जिला बलौदाबाजार का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति करहीबाजार, जिला बलौदाबाजार को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति करहीबाजार, जिला बलौदाबाजार को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |



निरंतर.....

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करहीबाजार, जिला बलौदाबाजार में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति करहीबाजार, जिला बलौदाबाजार को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| सरल क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 14 |
| 3 | प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) | 1 |
| 4 | शिक्षक | 7 |
| 5 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 6 | प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) | 1 |
| 7 | सहा. शिक्षक | 7 |
| 8 | सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) | 3 |
| 9 | ग्रंथपाल | 1 |
| 10 | लेखापाल/सहायक ग्रेड 02 | 1 |
| 11 | सहा. ग्रेड-3 | 2 |
| 12 | भृत्य | 5 |
| 13 | चौकीदार | 1 |
| 14 | अंशकालीन सफाई कर्मी | 2 |
| योग | | 47 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।



निरंतर.....

- 6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।
- 7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।
- 9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा (अ)देशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2062

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार, छ0ग0।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2023 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया बाराद्वार, जिला सक्ती का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति नया बाराद्वार, जिला सक्ती को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति नया बाराद्वार, जिला सक्ती को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |



निरंतर....

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया बाराद्वार, जिला सक्ती में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति नया बाराद्वार, जिला सक्ती को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| सरल क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 11 |
| 3 | प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) | 1 |
| 4 | शिक्षक | 4 |
| 5 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 6 | सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) | 3 |
| 7 | ग्रंथपाल | 1 |
| 8 | लेखापाल/सहायक ग्रेड 02 | 1 |
| 9 | सहा. ग्रेड-3 | 2 |
| 10 | भृत्य | 5 |
| 11 | चौकीदार | 1 |
| 12 | अंशकालीन सफाई कर्मी | 2 |
| योग | | 33 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।



निरंतर....

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2064
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2065 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छुरीकला, जिला कोरबा का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति छुरीकला, जिला कोरबा को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति छुरीकला, जिला कोरबा को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

| स. क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | व्याख्याता हिन्दी | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 2 | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 3 | व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 4 | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 5 | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 6 | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 7 | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 8 | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 9 | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 10 | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 11 | शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 12 | व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 13 | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 14 | सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 25300/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| 15 | ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 22400/- | प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन |
| कुल | | 24 | | |

निरंतर.....



2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छुरीकला, जिला कोरबा में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति छुरीकला, जिला कोरबा को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

| सरल क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | प्राचार्य | 1 |
| 2 | व्याख्याता | 15 |
| 3 | व्यायाम शिक्षक | 1 |
| 4 | सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) | 3 |
| 5 | ग्रंथपाल | 1 |
| 6 | लेखापाल/सहायक ग्रेड 02 | 1 |
| 7 | सहा. ग्रेड-3 | 2 |
| 8 | भृत्य | 4 |
| 9 | चौकीदार | 1 |
| 10 | अंशकालीन सफाई कर्मी | 1 |
| योग | | 30 |

4/ तालिका क्रमांक-2 के समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।



निरंतर.....

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-20-00314, दिनांक 21.09.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2066

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।
8. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा, छत्तीसगढ़।
9. शाला..... एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग